

FORM NO. III

फर्दअहकाम

( नियम- 26 )

दिलत .....सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ..... गुड़ामालानी .....

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पीथाराम वलद नानजीराम जाति कलवी निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. गणपतलाल पुत्र किशनाराम वगैरा (11) निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

किरम मुकदमा.....धारा 88, 53, 188 RTA

मु0न0.....84../21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.09.2021	<p>वादी पीथाराम की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री हरीश चौधरी द्वारा प्रतिवादीगण गणपतलाल वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RTA का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी, प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करें। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.12.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(प्रमोद कुमार) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी</p>	
17/12/21	<p>पत्रावली काज प्रशासन गांवे के सेवा अधिकारी विरुद्ध गुड़ामालानी पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के हिराफत हो कि काज नं० पेशी के पूर्व उत्तिकाशिका की तलवी पूर्ण करावे। काज पत्रावली दिनांक 12/01/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(प्रमोद)</p>	
12/01/22	<p>पत्रावली काज पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी उत्तिकाशिका के सम्मन रजि०डाक द्वारा भेजने का एक नोट भेजकर चारते हैं। वकील वादी के पूर्व हिराफत हो कि काज नं० पेशी के पूर्व उत्तिकाशिका की तलवी कावश्यक रूप के पूर्ण करावे। काज पत्रावली दिनांक 01/02/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(प्रमोद)</p>	
1/2/22	<p>वकील वादी उप० वकील वादी उत्तिकाशिका के सम्मन रजि०डाक द्वारा भेजने का एक नोट भेजकर चारते हैं। वकील वादी के पूर्व हिराफत हो कि काज नं० पेशी के पूर्व उत्तिकाशिका की तलवी पूर्ण करावे। काज पत्रावली दिनांक 28/2/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(प्रमोद) सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी</p>	



